

in PART-II relating to STATEMENT OF INCOME, under the head "STATEMENT OF TOTAL INCOME", for item 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,-

"6. Less: Deductions claimed under Chapter VI-A:

Section	Code	Amount(Rs.)	Section	Code	Amount (Rs.)
80G	242		80I*	251	
80GGA	248		80IA*	292	
80HH*	244		80J	254	
80HHA*	245		80JJ	253	
80HHB*	246		80JJA	256	
80HHBA*	249		80JJAA	257	
80HHC*	247		80M	289	
80HHD*	255		80-O	296	
80HHE*	291		80Q	297	
Total :			Rs.		

*Attach report/certificate as prescribed under the relevant section";

(3) after PART-III relating to STATEMENT OF TAXES and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

" PART - IIIA

TAX ON DISTRIBUTED PROFITS OF DOMESTIC COMPANIES

1. Date of declaration /distribution/payment of any dividend during the previous year, whichever is earliest
2. Amount of any dividend declared/ distributed/paid Rs.....
3. Date and amount paid as additional tax in respect of dividend mentioned in item 2 Date : Amount: Rs.....
4. Amount of interest u/s 115P paid, if any: Rs.....
5. Total amount paid [items 4+5] Rs.....";

4) in PART-IV relating to INFORMATION RELEVANT TO BUSINESS OR PROFESSION, for item 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

7. Deductions claimed under Chapter IV:

u/s	Code	Amount(Rs.)	u/s	Code	Amount (Rs.)
32(1)	430		35(ABB)	449	
32(2)	432		35AC	439	
32A	433		35CCA	440	
33AB	434		35CCB	441	
33ABA	453		36(1)(vii)	445	
33AC	458		36(1)(viii)	444	
35(1)	435		36(1)(viii)	451	
35(2AA)	436		37(2)	447	
35(2AB)	450		37(3)	448	

(5). after PART-VI. under the heading "VERIFICATION", the figures "19....19" shall be omitted.

F.No.142/79'98-TPL

Notification No. 11057



(D. Karunakara Rao)

Under Secretary to the Govt. of India

Note:- The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E) dated 26.3.1962 and were last amended by Income-tax (27th Amendment) Rules, 1999 vide Notification S. O. NO. 543 dated 6.7.99.

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड उपखण्ड II में प्रकाशनाई

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
॥ राजस्व विभाग ॥
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 1999

अधिसूचना

आयकर

का०ख० ॥ अ॥ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 ॥ 1961 का 43 ॥ की धारा 295 की उपधारा ॥ 1 ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. ॥ i ॥ इन नियमों को आयकर ॥ अधिस्वा संशोधन ॥ नियम, 1999 के नाम से जाना जाएगा ।

॥ ii ॥ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में,-

॥ क ॥ विवरणी प्रपत्र सं० 1 से संबंधित "पावती" नामक शीर्षक में-

॥ i ॥ मद 1 और 2, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1. कर निर्धारण वर्ष

2. स्थायी छांटा संख्या/जी.आई.आर. संख्या

॥ i ॥ मद 6 में, अंक "19" को निकाल दिया जाएगा;

॥ ख ॥ आय की विवरणी से संबंधित प्रपत्र सं० 1 में,-

॥ i ॥ सामान्य सूचना से संबंधित भाग I में,-

॥ i ॥ मद 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा; अर्थात्:-

1. कर निर्धारण वर्ष

2. स्थायी छांटा संख्या/जी.आई.आर. सं०

॥ i ॥ मद 5 में, "199" के अंक को निकाल दिया जाएगा;

॥ ii ॥ मद 15 के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

बैंक का नाम

शाखा का पता

खाता संख्या

17. क्रेडिट कार्डों का विवरण

क्रेडिट कार्ड संख्या

द्वारा जारी किया गया

12। "1. कुल आय का विवरण" भागक सीधे के अन्तर्गत आय के विवरण से संबंधित भाग-II में, मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थापन पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् -

"6. फटाइए : अध्याय V I-क के अन्तर्गत दाया की गई कटौतियाँ :

धारा	कोड	रकम।रु०।	धारा	कोड	रकम।रु०।
80 छ	242		80 झ*	251	
80 छ छ क	248		80 झक*	292	
80 जत *	244		80 ज	254	
80 ज ज क *	245		80 जज	253	
80 ज ज झ *	246		80 ज झ क	256	
80 ज ज झ क *	249		80 ज ज क क	257	
80 ज ज झ. *	247		80 ड	289	
80 ज ज घ *	255		80 ण	296	
80 ज ज ड. *	291		80 ट	297	
कुल :			रु० :		

* संमत धारा के अन्तर्गत यथा-निर्धारित रिपोर्ट/प्रमाण पत्र संलग्न करें।

13। करों के विवरण और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबद्ध भाग-III के पश्चात

धारा के अन्तर्गत	रूट	धारासि 1801	धारा के अन्तर्गत	रूट	धारासि 1801
32 III	430		35 क स का	449	
32 I 21	432		35 क म	439	

33 क ख	434	35 म म ख	441
33 क ख क	453	36 IIIIPII	445
33 क ग	458	36 IIIIPII क	444
35 III	435	36 IIIIPIIPII	451
35 I2 क क I	436	37 I2I	447
35 I2 क ख I	450	37 I3I	448

151 भाग VI के बाद "सत्यापन" शीर्ष के अन्तर्गत "19...19" संख्याओं को हटाया जाएगा ।

डी. क. गुप्ता 22/2/98

डी. कल्याणकर राव ।

अवर सचिव, भारत सरकार

फा0सं0 142/79/98-टी पी एल
अधिसूचना सं0...11.05.7.

टिप्पणी : - मुख्य नियम दिनांक 26.3.1962 की अधिसूचना सं0 का0 अ0 969 I3I के तहत प्रकाशित किए गये थे और इसमें अन्तिम बार संशोधन आयकर ।...संशोधन। नियमावली, 1999 के तहत दिनांक 6/3/99 की अधिसूचना का0अ0 सं0 543 (अ.) द्वारा किया गया था ।